



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233041
CG-DL-E-01022022-233041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]
No. 80]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

संख्या. 06 /2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 80(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	अधिसूचना सं.	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 37/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 6,7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 2 फरवरी, 2022 से लोप किया जाएगा।

2.	अधिसूचना सं. 52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 1क, 2, 3, 4, 5, 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 मई, 2022 से लोप किया जाएगा।
----	---	--

[फा.सं. 334/01/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पणः

1. मूल अधिसूचना संख्यांक 37/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 संख्यांक सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक 81/2018 सीमाशुल्क, तारीख 17 दिसंबर, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 1214(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
2. मूल अधिसूचना संख्यांक 52/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक 24/2021 सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 236(अ), तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 06/2022-Customs

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

Table

S.No.	Notification number	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 37/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) <i>vide</i> number G.S.R. 772(E), dated the 30 th June, 2017.	In the said notification, in the TABLE, S. Nos. 6, 7 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 2 nd February, 2022.

2.	Notification No. 52/2017-Customs, dated the 30 th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) <i>vide</i> number G.S.R. 787(E), dated the 30 th June, 2017.	In the said notification, in the TABLE, S. Nos. 1A, 2, 3, 4, 5, 11 and the entries relating thereto shall be omitted with effect from the 1 st May, 2022.
----	---	--

[F.No. 334/01/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy

Note:

1. The principal notification No. 37/2017- Customs dated the 30th June,2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 772(E), dated the 30th June,2017 and was last amended by notification No. 81/2018-Customs dated the 17th December, 2018, *vide* number G.S.R. 1214(E), dated the 17th December, 2018.
2. The principal notification No.52/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 787(E), dated the 30th June, 2017 and last amended, by notification No. 24/2021-Customs, dated the 31st March, 2021, vide number G.S.R. 236(E), dated the 31st March, 2021.